



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक- 1035 / 24 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक- 20/05/2024

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.772 है०
वनभूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन जल वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य
क्षेत्र) का पत्र संख्या 08बी/यू०सी०पी०/०६/१८०/२०१६/एफ०सी०/१७१८ दिनांक १७.
०१.२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन जल वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या 08बी/यू०सी०पी०/०६/१८०/२०१६/एफ०सी०/१७१८
दिनांक १७.०१.२०१८ द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है:-

क्रम सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ८२० वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु एवं १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ८२० वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु १० वर्षों तक रख रखाव हेतु रु० ८,२०,०००.०० मात्र का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से दिनांक ०२.०८.२०१८ को वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति सलग्न।
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७ -एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७ -एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु० ५,०७,२०,०४.०० मात्र आर० टी० जी० एस० के माध्यम से दिनांक ०२.०८.२०१८ द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़े हुये दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बढ़ता प्रस्तुत की जाय।	प्रमाण पत्र संलग्न 4 प्रतियों में।
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें, कि जमा की गयी सभी निधियां (Ca cost, NPV ETC.) को वह पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय अन्य माध्यमों से जमा कि गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	स्वीकार्य है/Online Generated चालान के माध्यम से ही कैम्पा कोष में जमा किया गया है।
05	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र 4 प्रतियों संलग्न।
06	State Govt will Provide Hard copy of digital map of proposed Road FRA Plantation Scheme in original	डिजीटल जियोरिफरेन्स मानचित्र, वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धी प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न।
07	State Govt will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online part-1	खण्ड द्वारा मौटर मार्ग निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध पर निर्माण कार्य कराया जाता है। जिस कारण स्थायी कर्मचारियों की संख्या शून्य दर्शायी गई हैं तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु श्रमिक रखे जाते हैं। जोकि अस्थाई होते हैं इसमें चालक, श्रमिक एवं अन्य मजदूर भी सम्मिलित होते हैं जिस कारण इनकी संख्या 150 दर्शायी गयी है।
08	State Govt will Provide and upload FRA certificate after authenticating the corrections made in it	शर्त मान्य है।

सलंगन:-चार-चार प्रतियों में।

अतः अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

- प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

20.05.2024

प्रत्येक

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &
CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१८०/२०१६/एफ०सी०/१७१८

दिनांक १७/०१/२०१८

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली के अन्तर्गत घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७७२ है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-891/X-4-16/1(281)/2016 दिनांक 06.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/12313/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे गह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चमोली के अन्तर्गत घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७७२ है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 820 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide hard copy of digital map of proposed road, FRA, plantation scheme, in original.
7. State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online Part-I.
8. State Govt. will provide and upload FRA certificate after authenticating the corrections made in it.

17/1/18

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 82 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,
कमल प्रीत
17/01/16
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 25-07-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6112313709
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/180/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(In Rs)	1327204/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Twenty-Seven Thousand Two Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112313709 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 25-07-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6112313709
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/180/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(In Rs)	1327204/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Twenty-Seven Thousand Two Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112313709 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

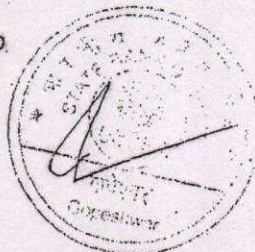
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

J# 024957360

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.



Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
GOPESHWAR

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.772 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 है० वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढी हुई एन.पी.वी. धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

12-8-18
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय-

जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation किया जायेगा।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

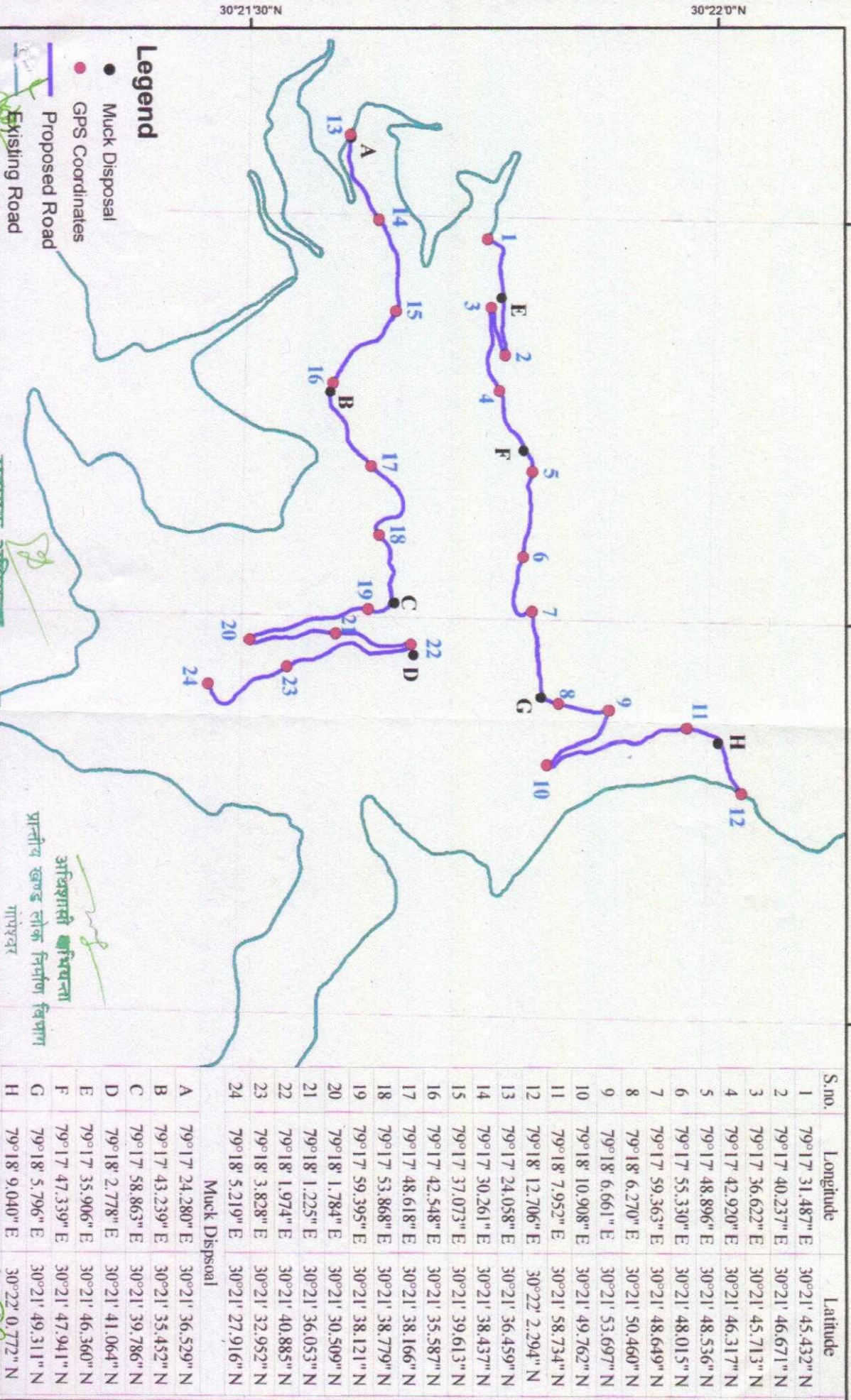
EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
गोपेश्वर
गोपेश्वर

जीयोरेफरेन्स मैप - जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत छुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 कि०मी० + 36 मीटर स्थान स्टील गार्डर हेतु)

79°17'30"E

79°18'0"E

79°18'30"E



Legend

- Muck Disposal
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

अधिकांसी अभियन्ता
प्रान्तीय खाद लोक निर्माण विभाग
गायवर

79°18'30"E

राज्य अविभाजित
प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग

30°21'30"N

30°22'0"N

कनिष्ठ अभियन्ता
मोहम्मद (चमोली)

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCE DIVISION
G.P. CHAMOLI

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में राज्य योजना के अर्न्तगत घुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी 0+ 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)

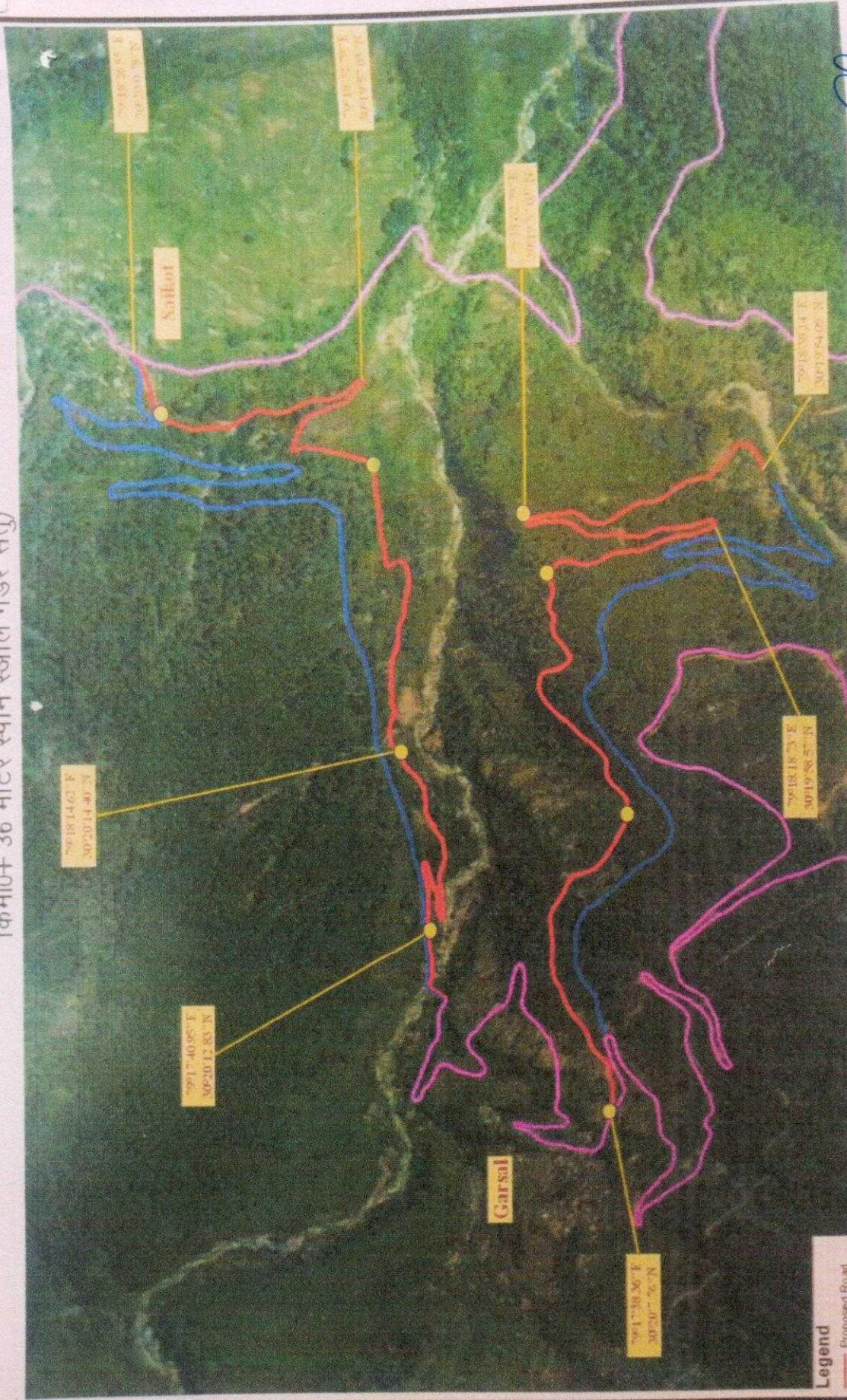


अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खाद लोक निर्माण विभाग
चमोली

जिलाधिकारी
चमोली

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHVARAN

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत घुड़साल - सैकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 किमी) 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु)



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Motor Road
- Dumping Zone

जिलाधिकारी
 EXECUTIVE ENGINEER
 PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
 Bageshwar

अतिरिक्त प्रमुख
 प्रमुख सहायक जिला
 प्रमुख सहायक जिला
 प्रमुख सहायक जिला

जिलाधिकारी
 EXECUTIVE ENGINEER
 PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
 Bageshwar

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

to :- Camp

Dated :- 16-03-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.772 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (Length 1.50 Km) at Dasoli Block in District Chamoli (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.772 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

[Signature]
District Magistrate Chamoli

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated ~~10-3-2015~~ at time ~~12:00 hrs.~~ at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.772 Hect of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: ~~10-3-15~~

Signature


EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR


(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 7.8.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री. <u>अवधेश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी (सदर) | अध्यक्ष |
| 2- श्री. <u>रघु. एन. सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री. <u>आर. एल. खन्ना</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री. <u>मनी दुनीता पंवार</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

Ar. G. R.
07/03/2015
उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष
चमोली

मनी दुनीता पंवार
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
वन केलाधिकारी
र-1654

मनी दुनीता पंवार
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

मनी दुनीता पंवार
(सुनीता देवी)
बी.डी.सी. क्षेत्र
चमोली (चमोली)

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GORESHANKAR

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

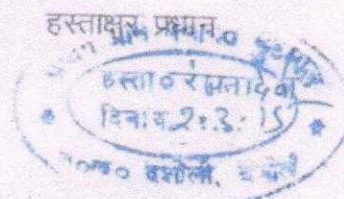
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.772 हे० सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.772 हे० सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

प्रपत्र -23.1

दि. 03/03/15 को ग्राम सभा हैकोट

की बैठक सम्पन्न हुई

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश लाल खन्नेड़ा	
	हरीश पन्ना	हरीश पन्ना
	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
	सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
	सुन्दर लाल	सुन्दर लाल
	शिव प्रसाद सुरोहित	शिव प्रसाद
	शीर देवी	शीर देवी
	प्रभाद सती	प्रभाद सती
	सुकोप सती	सुकोप सती
	दिनेश प्रसाद व्यासमाल	दिनेश प्रसाद
	महेन्द्र लाल	महेन्द्र लाल
	रमेश लाल	रमेश लाल
	दर्शन सिंह गुसाई	दर्शन सिंह
	मनोप	मनोप
	महेन्द्र सिंह पन्ना	महेन्द्र सिंह
	सत्येन्द्र	सत्येन्द्र
	प्रकाश लाल	प्रकाश लाल
	गिरिश लाल	गिरिश लाल
	दिनेश लाल	दिनेश लाल
	राधा लाल	राधा लाल
	कुलदीप सिंह पन्ना	कुलदीप सिंह
	शकुल सिंह रावत	शकुल सिंह
	वंशी लाल	वंशी लाल
	कुन्दरी लाल	कुन्दरी लाल
	भुसार लाल	भुसार लाल
	विनायक लाल	विनायक लाल



EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D.

प्रपत्र -23.1

दि. 02.03.2015 को ग्राम सभा कुड़नाल की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिशुपालसिंह	
2	हरीशचन्द्र	
3	रामचन्द्रसिंह	
4	मातवरसिंह	
5	मनवरसिंह	
6	प्रदीपसिंह	
7	बलवीरसिंह	
8	बिलोकसिंह	
9	कुंवरसिंह	
10	गोदवसिंह	
11	दरवानासिंह	
12	अनूपसिंह	
13	विनोदलाल	
14	नन्दलाल	
15	मन्नासिंह	
16	बिलोकसिंह सती	
17	नारायणसिंह	
18	बुर्गसिंह	
19	जगदीशलाल	
20	नरैन्द्रसिंह	

ग्राम सभा कुड़नाल

23-15

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION (P.V. J.)

GOPESHWAR

जनपद चमोली के अन्तर्गत घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग का नवनिर्माण के अन्तर्गत 820 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य करने का प्राक्कलन।									
2-क्षेत्रफल 0.772 है०									
वृक्षारोपण स्थल का नाम- घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग के दोनों साइड।									
रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या 820 पौध।									
रोपित की जाने वाली प्रजाति- मिश्रित प्रजाति।									
क्र०सं.	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)									
1	गड्ढे खुदान कार्य रेखांकन चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी०)					820	14.28	प्रति गड्ढा	11709.60
2	ट्री गार्ड कय एवं फिक्स करना					820	843.00	सं०	691260.00
3	पौध की कीमत					820	24.20	प्रति पौध	19844.00
योग प्रथम चरण									722813.60
द्वितीय चरण									
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45मी०) रेखांकन चूना सहित					820	2.45	प्रतिगड्ढा	2009.00
2	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष					820	4.31	प्रति पौध	3534.20
3	पौध दुलान कार्य					820	14.25	प्रति पौध	11685.00
4	पौध रोपण कार्य					820	4.61	प्रति पौध	3780.20
योग द्वितीय वर्ष									21008.40
तृतीय वर्ष									
5	अनुरक्षण प्रथम वर्ष चौकीदारी कार्य					12	1028.4/hq/month	माह	9527.10
योग तृतीय वर्ष									9527.10
चतुर्थ वर्ष									
1	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/month	माह	9527.10
योग चतुर्थ वर्ष									9527.10
पंचम वर्ष									
1	अनुरक्षण तृतीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/month	माह	9527.10
योग पंचम वर्ष									9527.10
षष्ठम वर्ष									
1	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/month	माह	9527.10
योग षष्ठम वर्ष									9527.10
सप्तम वर्ष									
1	अनुरक्षण पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/month	माह	9527.10
योग सप्तम वर्ष									9527.10

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHVAR

अष्ठम वर्ष									
1	अनुरक्षण षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग अष्ठम वर्ष								9527.10
नवम वर्ष									
1	अनुरक्षण सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग नवम् वर्ष								9527.10
दशम वर्ष									
1	अनुरक्षण अष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)					12	1028.4/hq/ month	माह	9527.10
	योग दशम वर्ष								9527.10
								total	820038.78
								or	820000.00

जांच किया खपये 820000.00 मात्र
के लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनार्थिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR